न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 53/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

बद्रीलाल गुर्जर कृषि मण्डी के सामने केकडी, अजमेर। जरिये बद्रीलाल गुर्जर निवासी केकडी, जिला–अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 02.05.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यवसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी एवं तहसीलदार केकडी द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	479092	BPC	15.8	25.8	10.0	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा फर्द चेंकिग एवं जब्ती पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया। किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं अपने निवास का पूर्ण पता बाबत भी इन्कार किया गया। चूकि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर कृष्णा गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री लादूराम वर्मा पुत्र श्री ओंकारमल वर्मा, निवासी– भाग्योदय नगर, अजमेर रोड, केकडी को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जो अदम तामिल इस रिपोर्ट के प्राप्त हुआ कि कृषि मण्डी केकडी के सामने आसामी बद्रीलाल गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। जिला रसद अधिकारी अजमेर से अप्रार्थी के पूर्ण विवरण यथा पिता का नाम व सही पते की जानकारी चाही गई। इस पर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित पैरोकार सरकार ने असमर्थता व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि वक्त जांच भी अप्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/दस्तावेज दिये जाने एवं फर्द पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया। अतः प्रकरण का एक पक्षीय निस्तारण किया जावें। सुनवाई चाहने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 23.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 23..02. 2018 के खण्डन बाबत अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के तथ्य भी प्रकट नहीं है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया उक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर ★ अजमेर ★

Scanned by CamScanner